



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 31 जनवरी, 2018

माघ 11, 1939 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या 225/79-वि-1-18-1(क)-12-2017

लखनऊ, 31 जनवरी, 2018

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश)(उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 पर दिनांक 9 जनवरी, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 2018 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2017

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 2018)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 का उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) यह अधिनियम औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम और विस्तार

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

अधिनियम संख्या  
20 सन् 1946 में  
धारा 13-ग का  
बढ़ाया जाना

2-औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 की धारा 13-ख के पश्चात्  
निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

“13-ग (1) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का शमन, राज्य अपराधों का शमन सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात् अभियुक्त के आवेदन पर ऐसे अपराध के लिए विहित जुर्माना सहित शमन फीस स्वरूप 50 प्रतिशत जुर्माना अधिरोपित करने के पश्चात्, किया जायेगा :

परन्तु शमन हेतु उपचार केवल प्रथम अपराध के लिए उपलब्ध होगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक अधिकारी किसी अपराध का शमन किए जाने की शक्ति का प्रयोग, राज्य सरकार के निदेश, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अध्यक्षीन करेगा।

(3) किसी अपराध के शमन किए जाने के लिए प्रत्येक आवेदन यथा विहित प्रपत्र में और रीति से किया जायेगा।

(4) जहाँ किसी अपराध का शमन किसी अभियोजन के संस्थित किये जाने के पूर्व किया जाता है वहाँ ऐसे अपराधी के विरुद्ध जिसके सम्बन्ध में अपराध का इस प्रकार शमन किया गया है, ऐसे अपराध के सम्बन्ध में कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया जाएगा।

(5) जहां किसी अपराध का शमन, किसी अभियोजन के संस्थित किये जाने के पश्चात् किया जाता है वहां ऐसा शमन, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा उस न्यायालय के संज्ञान लिखित रूप में लाया जाएगा जिसमें ऐसा अभियोजन लम्बित हो, और अपराध के शमन का इस प्रकार संज्ञान में लाये जाने पर वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध इस प्रकार अपराध का शमन किया गया हो, उन्मोचित कर दिया जाएगा।”

### उद्देश्य और कारण

औद्योगिक अधिष्ठानों में नियोजित नियोक्ताओं से औपचारिक रूप में उनके अधीन नियोजन की शर्तें परिनिश्चित करने और उक्त शर्तों से उनके अधीन नियोजित कर्मकारों को अवगत कराने की अपेक्षा करने की व्यवस्था करने के लिये औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियमित किया गया है।

विगत एक दशक से न्यायालयों में अनावश्यक मुकदमोंवाजी से बचने के लिए और लम्बितवादों की संख्या में कमी करने के लिये लघु अपराधों के शमन हेतु उपबंध पुरःस्थापित करने की माँग बढ़ती रही है। नियोक्ता संघों एवं व्यापार संघों से विचार-विमर्श और परामर्श के पश्चात् यह विनिश्चय किया है कि उक्त अधिनियम में संशोधन करके उपर्युक्त अधिनियम के अधीन अपराध के लिए विहित जुर्माना सहित शमन फीस स्वरूप जुर्माने का पचास प्रतिशत संदाय करने पर प्रथम अपराध के शमन की व्यवस्था की जाय।

तदनुसार औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश)(उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,  
वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव,  
प्रमुख सचिव।

No. 225(2)/LXXIX-V-1-18-1(ka)-12-2017

Dated Lucknow, January 31, 2018

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Audyogik Niyojan (Sthai Aadesh) (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhiniyam, 2017 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 16 of 2018) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on January 9, 2018.

THE INDUSTRIAL EMPLOYMENT (STANDING ORDER)  
(UTTAR PRADESH AMENDMENT) ACT, 2017

(U. P. ACT NO. 16 OF 2018)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

*further to amend the Industrial Employment (Standing Order) Act, 1946 in its application to Uttar Pradesh.*

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-eighth Year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Industrial Employment (Standing Order) (Uttar Pradesh Amendment) Act, 2017. Short title and extent
- (2) It shall extend to the whole of Uttar Pradesh.
2. *After* section 13-B of the Industrial Employment (Standing Order) Act, 1946 the following section shall be *inserted*, namely:- Insertion of section 13-C in Act no. 20 of 1946

“13-C (1) Any offence punishable under this Act shall be compounded on Composition of offences the application of accused either before or after institution of prosecution by a competent authority notified by the State Government in this regard, after imposing 50% of the fine for the offence as compounding fee along with the prescribed fine:

Provided that remedy for compounding shall be available for the first offence only.

(2) Every officer referred to in sub-section (1) shall exercise the power to compound an offence, subject to direction, control and supervision of the State Government.

(3) Every application for the compounding of an offence shall be made in such form and in such manner as may be prescribed.

(4) Where any offence is compounded before the institution of any prosecution, no prosecution shall be instituted in relation to such offence, against the offender in relation to whom the offence is so compounded.

(5) Where the composition of any offence is made after the institution of any prosecution, such composition shall be brought by the officer referred to in sub-section (1) in writing to the notice of the court in which prosecution is pending and on such notice of the composition of the offence being given, the person against whom the offence is so compounded shall be discharged.”

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Industrial Employment (Standing Order) Act, 1946 has been enacted by the Central Government to provide for requiring employers in industrial establishments formally to define conditions of employment under them and to make the said conditions known to workmen employed by them.

From the last decade there has been a growing demand for introduction of provision for compounding of small offences in order to avoid unnecessary litigation and to reduce the number of cases pending in courts. After due consideration and consultation with association of employers and trade unions, it has been decided to amend the said Act to provide for compounding the first offence on payment of fifty per cent of the fine as compounding fee along with prescribed fine for the offence under the aforesaid Act.

The Industrial Employment (Standing Order) (Uttar Pradesh Amendment) Bill, 2017 is introduced accordingly.

By order,

VIRENDRA KUMAR SRIVASTAVA,

*Pramukh Sachiv.*

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 854 राजपत्र-(हिन्दी)-2018-(2640)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 171 सा० विधायी-01-2-2018-(2641)-300 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।